न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह

प्रमांकली संख्या 230/2007

तारीख रजू 13-9-2007

उनवान

1. भागचन्द पुत्र राम स्वरूप जाति महाजन निवासी उनियाराखुर्द तह. टोडारायसिंह
"-वादी-

---बनाम---

1. सीमा देवी पुत्री बैजनाथ जाति धोबी निवासी उनियाराखुर्द तहसील टोडारायसिंह
2. तहसीलदार साहब तहसील टोडारायसिंह जिला टोंकराज.

-प्रतिवादीगण -

दावा इस्तकरारहक इन्द्राज दुरूस्ती वस्थायी निषेधाज्ञा

आदेश

दिनांक 20-9-2013

संक्षिप्त वाकैयात प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध दावा बाबत इस्तकरारहक इंन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक ख. नं. 2693/1/3/2रकबां 1बीघा भूमि वाकै ग्राम उनियाराखुर्द दिनांक 16-6-92 को आवंटन होकर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया था तब से आज तक निरन्तर रूप से वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है।आवंटित भूमि के पूर्व में कानापुत्र गिरधारी कीर का आवंटन शुदा खेत दक्षिण में स्कूल का खेल मैदान पश्चिम में गैर मुमकीन आबादी उत्तर दिशा में रामप्रसाद ब्राह्मण का आधा बीघा का आवंटन शुदा खेत स्थित है । इन सीमाओं के मध्य वादी की साबिक रिकार्ड मे आवटन शुदा खेत था। जिन पर वादी आज तक काबिज चला आ रहा है । यह है कि दौराने सेटलमेन्ट,सेटलमेन्टविभाग के व्दारा साबिक आराजी ख. नं. 2693/1/3/2 रकबा1बीघा के हाल ख. नं. 4018/4664 रकबा 0.25है0कायम कर खातेदारी प्रदान करदी गई किन्तु सेटलमेन्ट विभाग के व्दारा गत साबिक रिकार्ड के आधार पर हाल रिकार्ड में ख. नं. 4018/4664का इन्द्राज गलत रूप से कर दिया गया जबकि जहाँ वादी काबिज काश्त था वहाँ की आराजी की तरमीम कीजाकर खातेदारी दी जानी चाहिए । साबिक रिकार्ड केआधार पर वादी हाल ख. नं. 4022 रकबा 1.05है0में से 0.25है0 जिसे सलग्न नजरी नक्शा ट्रेस मेंलाल रंग से दर्शाया गया हैउक्त स्थान पर वादी को खातेदारी प्रदान की जानी चाहिए थी क्योंकि ख. नं. 4022रकबा 1.05है0में से 0.25है0 जिसे नजरी नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित किया हैके स्थान पर वादी अपनेआवंटित भूमि की खातेदारी घोषित करवानें का अधिकारी है। तथा इसीस्थान पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है । जबकिआराजी ख. नं. 4022रकबा1.05है0की

उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह (टोंक)

(51)

की खातेदारी गलत रूप से प्रहलाद, नन्दा पिo मोडू, ग्याना बाली पत्नी मोडू जाति हरिजन निवासी उनियाराखुर्द की खातेदारी में गलत रूप से इन्द्राज कर दिया गया तथा इनके द्वारा उक्त आराजियात को प्रतिवादी नं. 1 सीमा को बेचान करदी गई। वर्तमान मे सीमा उक्त आराजियात की खातेदार है इसलिए उसको भी पक्षकार बनाया गया है। अतः दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादी को आराजी ख. नं. 4022 रकबा 1.0580 में से 0.2580 जो नक्शे नजरी मे लाल रंग से दर्शित है का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा वादी के नाम गलतरूप से दर्ज खातेदारी हाल ख. नं. 4018/4664 रकबा 0.2580 की हटायी जावे।

उक्त विषयक वाद पत्र प्रस्तुत होने पर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिल समन उपस्थित नहीं होने पर कार्यवाही एकतरफा के आदेश पारित किये गये। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल आवंटन आदेश प्रदर्श-1 नकल सुपुर्दनामा प्रदर्श-2 नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श-3 साबिक नकल जमाबन्दी हाल प्रदर्श-4, 5 नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-6 नकल जमाबन्दी साबिक प्रदर्श-7 नकल मौका रिपोर्ट प्रदर्श-8, उसके संलग्न जमाबन्दी प्रदर्श -9 व 10 पेश की गई। साक्ष्य में वादी स्वयं तथा गवाहान मदन लाल पुत्र बजरंगलाल जैन व रामप्रसाद पुत्र छगनलाल इमा के बयानात दर्ज करवाये गये।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात को देखा विद्वान अभिभाषक वादी को सुना प्रस्तुत आवंटन आदेश सुपुर्दनामा से वादी को साबिक आराजी ख. नं. 2693/1/3/2 रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन होकर वादी कब्जा सुपुर्द किया जाना पाया जाता है। जिसकी नक्शा ट्रेस साबिक में तरमीम होना पायी जाती है। उक्त आवंटन का अंकन साबिक जमाबन्दी मे होना पाया जाता है। जहाँ तक वादी के साबिक रिकार्ड के अनुसार हाल रिकार्ड मे खातेदारी गलत स्थान पर दे दिये जाने का प्रश्न है। साबिक सीट एवं हाल सीट के मिलान करने पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि जहाँ आवंटी को कब्जा सुपुर्द किया गया था तथा साबिक सीट में जहाँ तरमीम थी उक्त स्थान पर हटाकर वर्तमान रिकार्ड में खातेदारी दी गई है। जिसकी पुष्टि साबिक सीट एवं हाल सीट तथा मौका पर्चा रिपोर्ट से प्रमाणित होती है कि वादी की खातेदारी की भूमि को तरमीम गलत स्थान पर कर गलत खसरा नम्बरान की खातेदारी वादी को

प्रदान की गई है जो साबिक सीट एंव हाल सीट एव रिपोर्ट मौका तहसीलदार टोडारायसिंह के अनुसार वादी के व्दारा प्रस्तुत वाद काबिले डिक्री पाया जाता है ।

अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरारहक इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का डिक्री किया जाता है कि आराजी साबिक ख.नं. 2693/1/3/2 रकबा 1बीघा वाकै ग्राम उनियाराखुर्द के हाल ख.नं. 4018/4664रकबा 0.25है0बनाये जाकर वादीकी खातेदारी में दर्ज किये गये है उक्त आराजियात वादी की खातेदारी से हटायी जाकर प्रतिवादी सीमापुत्री बैजनाथ धोबीके नाम दर्ज की जावें तथा आराजी ख.नं. 4022रकबा 1.05है0 वाकै ग्राम उनियाराखुर्द में से 0.25है0 भूमि जो नजरी नक्शा ट्रेस प्रदर्श-11 में मे लाल रग से दर्शाये अनुसार का वादीभागचन्द पुत्र रामस्वरूप महाजन को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता हैउक्त आराजियात प्रतिवादीसीमा की खातेदारी से हटायीजाकर वादीके नाम खातेदारी में दर्ज की जावे उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्त हो । नजरी नक्शा ट्रेस निर्णय एंव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो । आदेश मेरे व्दारा लिखाया जाकरविवृत न्यायालय सुनाया गया।

(डा. सूरज सिंह नेगी)
उपखण्ड अधिकारी,
टोडारायसिंह